आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

07/01/2020

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल।

रैयतिकरण वाद संख्या–08/18–19

कलावती देवी वनाम् अंचल अधिकारी, करपी

आदेश

आवेदक महेन्द्र सिंह, पिता–रामफल सिंह, ग्राम+पोस्ट–नगला, किंजर, थाना–किंजर, अंचल–करपी, जिला–अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से रैयतिकरण वाद दायर किया है जिसे आवेदन में वर्णित भूमि को आवेदक के नाम पर रैयतिकरण करने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि मौजा–मुशदघुर नगला, थाना नं०–222, तौजी संख्या–646, थाना–करपी, जिला–अरवल में अवस्थित है। भूमि का विवरण निम्नवत है:–

खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा	चौहदी
62	232	$19\frac{1}{2}$ डी०	उतर–मो० सदीक अंसारी दक्षिण–करहा पूरब–नीज पश्चिम–मुराद अली मियॉ

वाद की प्रविष्टी की गई। प्रतिवादी अंचल अधिकारी, करपी को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादी अंचल अधिकारी, करपी अनुपस्थित रहे, परन्तु अंचल अधिकारी, करपी द्वारा पत्रांक 10 दिनांक 04.01.2020 द्वारा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी, सोन योजना औरंगाबाद का पत्रांक 357/औ० दिनांक 02.07.2016 के आलोक में प्रतिवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित हुए तदानुसार दिनांक 23.08.2018 को आवेदन दायर कर सूचित किया गया कि आवेदक का दिनांक 31.07.218 को मृत्यु हो गई जिसे इनके पत्नी मो० कलावती देवी है जिसे आवेदक महेन्द्र सिंह का नाम विलोपित करते हुए उनके स्थान पर उनकी पत्नी मो० कलावती देवी का नाम स्थापित किया जाये जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। वाद की सुनवाई की गई।

आवेदिका का अधिवक्ता का कहना है कि:–

(1) कंडिका में जमीन का वितरण दिया गया है वो वकास्त मालिक है जो बिबी मैमुना खातुन ने निबंधित वसीका के माध्यम से मोहम्मद मोजीबुद्दीन, पिता पीरजान मियॉ को दिनांक 04.07.1965 को विकी किया था जिसे दाखिल काबिज होकर दाखिल खारिज अपने नाम से कराये थे। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि आवेदक दिनांक 06.05.1980 को केवाला संख्या–4336 को मोहम्मद मोजीबुद्दीन, पिता–पीरज़ान मियॉ से खरीद किया। खरीदगी के वाद से विवादित भूमि पर आवेदिका का शांति पूर्वक दखल कब्जा चला आ रहा है।

(2) आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उक्त भूमि का डिमाण्ड आवेदिका के पति–स्व० महेन्द्र सिंह के नाम पर जमाबंदी संख्या–35 ii के द्वारा कायम हुआ तथा

उसके अनुसार राजस्व रसीद का भुगतान कर रहे है।

(3) आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि पुनपुन वराज परियोजना में कंडिका वाली जमीन को अतिक्रमण किया गया है और उसी रैयतिकरण प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदक उसके विभागीय कार्यालय से संबंधित मुआवजे प्राप्त करने में सक्षम है।

अंचल अधिकारी, करपी अपने लिखित कथन जो पत्रांक 630 दिनांक 13.09.2018 के द्वारा भेजा गया प्रत्युतर में कहा है कि खतियान के अनुसार खाता संख्या–62, प्लॉट संख्या–232, रकवा–0.19$\frac{1}{2}$ डी० जो कार्यालय रिकोर्ड में है और जो वकास्त मालिक है। अंचल अधिकारी, करपी ने यह भी उल्लेखित किया है कि कंडिका में जो जमीन दर्शायी गई भूमि केवाला संख्या–4336 दिनांक 06.05.1980 को बकास्त मालिक से खाता संख्या–62, प्लॉट संख्या–232, रकवा–0.19$\frac{1}{2}$ डी० भूमि महेन्द्र सिंह को प्राप्त हुआ है। आवेदक को केवाला संख्या–4336 दिनांक 06.05.1980 में खरीदगी सम्पति है तथा जमाबंदी संख्या–35/02 तथा 1993–1994 से 2018–2019 तक राजस्व का भुगतान किया है। अंचल अधिकारी, करपी ने यह भी उल्लेखित किया है कि 2121 वराज परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाले भूमि–अर्जन में रैयतिकरण हेतु कार्यालय विशेष भू अर्जन पदाधिकारी, सोन योजना औरंगाबाद के पत्रांक 357/औरंगाबाद दिनांक 02.07.2016 अधिग्रहण की गई है। अतः यदि रैयतिकरण के अनुसार उपरोक्त भूमि ली जाती है तो बिहार रैयति भूमि लीज निति के अनुसार आवेदक को दी जाती है। अंचल अधिकारी, करपी को कोई आपति नही है और कथित भूमि के अधिग्रहण के बाद आवेदक को मुआवजे का भुगतान किया जाता है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अंचल अधिकारी, करपी के लिखित कथन एवं बाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। आवेदिका के द्वारा खतियान का नकल, केवाला तथा राजस्व रसीद और विभागीय निदेशित विवरण तथा अंचल अधिकारी, करपी का लिखित कथन का अवलोकन किया। इन दास्तावैजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका उपरोक्त भूमि का वास्तविक रैयत है जिसके कारण यह न्यायालय अंचल अधिकारी, करपी के द्वारा दिये गये रिर्पोट के आधार पर आवेदिका के पक्ष में रैयतिकरण स्वीकार करता है। आवेदिका को देय मुआवजा संबंधित विभाग द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के अनुसार अनुसूची में उल्लेखित नही होगा तथा अंचल अधिकारी, करपी को निदेश दिया जाता है कि रैयतिकरण के संबंध में रिर्कोड बनाये रखे जैसा कि विभागीय पत्रांक 14/डी० एल० ए० (लीज) नीति/69/2014–783 राजस्व दिनांक 16.06.2016 तथा मैमो नम्बर 448 दिनांक 23.06.2016 के द्वारा निदेशित की गई है।

लेखापित एवं संशोधित
07/01/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

लेखापित एवं संशोधित
07/01/20
भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।